

पुरानी पेंशन योजना का विकल्प पत्र

टिप्पणी: उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, लखनऊ दिनांकित 11-07-2024 के अनुक्रम में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में विकल्प की व्यवस्था के अनुक्रम में विकल्प पत्र

- 01- नाम- अभिनितम उपाध्याय (ABHINITAM UPADHYAY)
- 02- वर्तमान पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
- 03- वेतनमान- 144840-194660
- 04- वर्तमान विभाग का नाम- जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद (न्याय विभाग)
- 05- राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
- 06- विज्ञप्ति की तिथि- 15-11-2003 (विज्ञप्ति संख्या- ए-2/ई-1/2003)
- 07- विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- संख्या-2430/दो-4-06-32(1)/2001 टी.सी.-1 लखनऊ दिनांकित 26-05-2006
- 08- योगदान की तिथि- 14-06-2006
- 09- जन्म तिथि- 31-03-1981
- 10- सेवानिवृत्ति की तिथि- 31-03-2041

मैं अभिनितम उपाध्याय पुत्र श्री धरणीधर उपाध्याय शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाए।

हस्ताक्षर Abhinitam Upadhyay
नाम- अभिनितम उपाध्याय
पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।

घोषणा-पत्र

मैं अभिनितम उपाध्याय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर Abhinitam Upadhyay
नाम- अभिनितम उपाध्याय
पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री अभिनितम उपाध्याय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

Vinay Kumar
(विनय कुमार III)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति
जनपद न्यायाधीश
फर्रुखाबाद